International Journal of Economic Perspectives,*19* **(09) 1-5**
ISSN: 1307-1637 UGC CARE GROUP II
Retrieved from https://ijeponline.com/index.php/journal

भारतीय समाज और घरेलू हिंसा – वर्तमान स्थिति

रवि देव
शोधार्थी (समाज शास्त्र)
श्री खुशाल दास विश्वविद्यालय, पीलीबंगा, हनुमानगढ़ जं.
डॉ. नजमा खातून
शोध निर्देशिका (समाज शास्त्र)
श्री खुशाल दास विश्वविद्यालय, पीलीबंगा, हनुमानगढ़ जं.

सारांश

घरेलू हिंसा केवल मात्र एक व्यवहार नहीं है बल्कि एक प्रक्रिया भी है। ऐसी प्रक्रिया जिससे शोषित व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक स्थिति खराब हो सकती है। घरेलू हिंसा केवल भारत में ही नहीं वरन विश्व के बहुत से देशों में देखी गई है। एक ऐसा व्यवहार जिसका नुकसान महिलाओं को किसी न किसी रूप में भुगतना पड़ता है।

महिलाओं को इस शोषण से मुक्त करने के लिए सरकार ने बहुत से उपायों को लागू किया परंतु फिर भी इस समस्या का समाधान नहीं हो सका। जब तक महिलाएं स्वयं शिक्षित और जागरूक नहीं होंगी । तब तक वे इस समस्या से निजात नहीं पा सकती।भारतीय समाज में घरेलू हिंसा एक जटिल और गहरी समस्या है, जो सामाजिक संरचनाओं, सांस्कृतिक मान्यताओं और कानूनी ढांचे से प्रभावित होती है। घरेलू हिंसा के विविध स्वरूप और इसके समाज पर प्रभाव का अध्ययन करके, इस समस्या के समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाए जा सकते हैं। इस शोध पत्र का उद्देश्य भारतीय समाज में घरेलू हिंसा की वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करना है।

मूल शब्द : शिक्षा, शोषण, उत्पीड़न, शारीरिक पीड़ा, मानसिक चेतना।

प्रस्तावना

घरेलू हिंसा प्राचीन काल से भारत में देखी जा सकती है। यह एक नई समस्या नहीं है। प्राचीन काल से ही महिलाओं का किसी न किसी रूप में शोषण किया जा रहा है। उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। उन्हें समाज में उच्च स्थान नहीं दिया जाता। घर परिवार में भी उन्हें निम्न दर्जे का समझा जाता है। उन्हें शिक्षा का अधिकार नहीं है तथा किसी प्रकार का निर्णय लेने का अधिकार भी उन्हें नहीं दिया जाता। भारतीय शास्त्रों में उन्हें लक्ष्मी माना गया है तथा यह भी कहा गया है कि जहां पर नारी की पूजा होती है, वहां देवता निवास करते हैं। परंतु यह यह सोच केवल किताबों में ही दर्ज है। वास्तविक स्थिति किसी और दृश्य को दिखाती है, जहां महिलाएं बिल्कुल विपरीत स्थिति में हैं। महिलाओं को अकेले घर से निकलने की इजाजत नहीं मिलती है। उनके हर कार्य को पुरुष के सहयोग से ही करना उचित समझा जाता है। किसी भी निर्णय को लेने से पहले किसी पुरुष की सलाह लेना आवश्यक माना जाता है। घर परिवार में उन्हें केवल व्रत, त्यौहार एवं उत्सवों को पूर्ण करने की जिम्मेदारी दी जाती है। पूजा पाठ में महिलाओं को भय दिखा कर डराया जाता है और वे भयभीत हो इसी में उलझी रहती हैं। अपने वास्तविक विकास के बारे में वो सोच भी नहीं पाती है। इस प्रकार उनका किसी ना किसी प्रकार शोषण किया जाता है जो कि विश्व के विभिन्न देशों में प्रचलित है।

© 2024 by The Author(s). ISSN: 1307-1637 International journal of economic perspectives is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Submitted: 27 July 2025, Revised: 09 Aug 2025, Accepted: 18 Aug 2025, Published: Sep 2025

International Journal of Economic Perspectives,*19* (09) 1-5
ISSN: 1307-1637 UGC CARE GROUP II
Retrieved from https://ijeponline.com/index.php/journal

घरेलू हिंसा का अर्थ

एक ऐसी हिंसा जो किसी व्यक्ति के साथ घर में ही घर के किसी सदस्य के द्वारा की जाती है, घरेलू हिंसा कहलाती है।

घरेलू हिंसा को किसी व्यक्ति के खिलाफ उनके घरेलू वातावरण में कई गयी हिंसा को माना जाता है, जो शारीरिक, मानसिक, यौन या आर्थिक रूप में से किसी भी रूप में हो सकती है।

वैसे तो घरेलू हिंसा किसी के भी साथ हो सकती है, परंतु ये हिंसा अधिकांशत महिलाओं के साथ ही की जाती है। उन्हें विभिन्न माध्यमों से विभिन्न प्रकार से उत्पीड़ित किया जाता है, जो कि मानव जाति के लिए निराशाजनक प्रदर्शन है।

प्रकार

शारीरिक हिंसाः शारीरिक चोट, मारपीट, धक्का–मुक्की, बाल खींचना, गरम चिमटे एवं सिगरेट से दागना, हाथो और डंडे से मारना आदि जो घर के किसी सदस्य के द्वारा किया जाता है ।

मानसिक हिंसाः मानसिक उत्पीड़न, अपमानजनक व्यवहार, बदतमीजी, फबतियां कसना, अश्लील शब्दों का प्रयोग किया जाना, घर से निकालने की धमकी देना, गालियां देना, बेटा नहीं होने या बच्चा नहीं होने पर ताने मरना आदि ।

यौन हिंसाः बलात्कार, यौन शोषण, अश्लील हरकतें, जबरन यौन संबंध बनाना, गंदे इशारे करना, शरीर को जबरदस्ती छूना, निजी अंगों को छूना या चोट पहुंचना ।

आर्थिक हिंसाः वित्तीय संसाधनों पर नियंत्रण और आर्थिक निर्भरता से रोकना, नौकरी रोजगार या व्यवसाय न करने देना, पैसे को इकट्ठा न करने देना, मांगे जाने पर भी पैसा ना दिया जाना, संपति से वंचित करना, आवश्यक सामग्री और वस्तुएं उपलब्ध न करवाना।

इस प्रकार से अपने स्वार्थ और गलत आदतों के कारण विभिन्न अनुचित व्यवहार और प्रक्रियाओं को कर महिलाओं का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से शारीरिक और मानसिक शोषण किया जाता है। उन्हें चोट पहुंचाई जाती है। उन्हें दुखी किया जाता है। उन्हें विभिन्न प्रकारों से उत्पीड़ित किया जाता है जो की घरेलू हिंसा के अंतर्गत आता है।

कानूनी परिप्रेक्ष्य

घरेलू हिंसा अधिनियम (2005)

भारतीय संसद द्वारा पारित यह अधिनियम घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है। इसमें राहत, संरक्षण, और न्याय पाने के अधिकार शामिल हैं। शोषण करने वालों के लिए सज़ा का प्रावधान है, महिलाये स्वयं की सुरक्षा की मांग कर सकतीं हैं। यदि वे स्वयं के साथ होने वाले शोषण के खिलाफ़ आवाज उठती है तो कानून हर स्तर पर उनकी मदद करता है तथा मामले की जांच करता हैं। पीड़िता घरेलू हिंसा के खिलाफ मजिस्ट्रेट के पास आवेदन कर सकती है। अदालत पीड़िता के पक्ष में सुरक्षा आदेश जारी कर सकती है, जैसे हिंसा करने वाले व्यक्ति को पीड़िता से दूर रहने का आदेश।

कार्यान्वयन और चुनौतियाँ

हालांकि इस समस्या के समाधान हेतु कानून मौजूद है परंतु इसके कार्यान्वयन में कई चुनौतियाँ हैं, पहला कानूनी जागरूकता की कमी क्योंकि महिलाओं को शिक्षा के अभाव में इस कानून के

© 2024 by The Author(s). ISSN: 1307-1637 International journal of economic perspectives is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Submitted: 27 July 2025, Revised: 09 Aug 2025, Accepted: 18 Aug 2025, Published: Sep 2025

International Journal of Economic Perspectives,*19* **(09) 1-5**
ISSN: 1307-1637 UGC CARE GROUP II
Retrieved from https://ijeponline.com/index.php/journal

विषय में कोई जानकारी नहीं है। अतः वे पीड़ित होती रहती है और आवाज नहीं उठा पाती। दूसरा पुलिस की अविश्वसनीय भूमिका । महिलाएं पुलिस के पास जाने से डरती है इसलिए वे उनके पास मदद के लिए नहीं जाती तथा पुलिस को समाज विश्वसनीय नजरिये से नहीं देखता। तीसरा न्यायालय प्रणाली की धीमी गति। भारत देश में न्याय मिलने की उम्मीद रखने वालों की बहुत बड़ी संख्या है। हमारी न्याय प्रणाली लचीली है अतः न्याया मिलने में देर हो जाती है। इस कमी के कारण कोई न्यायालय में शरण में नहीं जाना चाहता।

ये केवल कमियां नहीं है बल्कि उम्मीदों को झकझोरने वाली संस्थाएं हैं जो उचित कानून होने पर भी लोगों को न्याय दिलवाने में देरी करती हैं।

सामाजिक दृष्टिकोण

सामाजिक और सांस्कृतिक कारण

लिंग असमानता, जातिवाद, गरीबी, प्रथाएं और पारंपरिक मान्यताएँ घरेलू हिंसा के मुख्य कारण हैं। जो महिलाओं के पतन का कारण बनते हैं। भारतीय समाज में परिवारों में पितृसत्तात्मक सोच, अशिक्षा और महिलाओं की निम्न स्थिति इन समस्याओं को बढ़ावा देती हैं। कम पढ़ी – लिखी या अशिक्षित होने के कारण महिलाएं अपने अधिकारों से परिचित नहीं होती। उन्हें घर में डरा धमकाकर रखा जाता है तथा प्रारंभ से ही उसे कमजोर घोषित कर दिया जाता है जिससे वे अपनी शक्ति को पहचान नहीं पाती। ये व्यवहार वर्षों से महिलाओं के साथ होता आया है, इसलिए महिलाओं ने इसे अपनी नियति मान लिया है और इसी कारण से वे इसका विरोध नहीं करती हैं।

सांस्कृतिक भिन्नताएँ

विभिन्न सांस्कृतिक समूहों में घरेलू हिंसा की स्थिति और स्वरूप में भिन्नता होती है, जो सामाजिक संरचना और परंपराओं से प्रभावित होती है। प्रत्येक समाज के अपने नियम कानून, प्रथाएं एवं परंपराएं होती हैं। इन प्रथा कानून और परंपराओं के द्वारा महिलाओं को त्यौहार उत्सव और पूजा पाठ से संबंधित बहुत सारी जिम्मेदारियां दे दी जाती हैं। उन्हें एक प्रकार से इसमें उलझाए रखा जाता है जिससे वह अपने विकास के बारे में नहीं सोच पाती। उन्हें शिक्षा के बारे में नहीं बताया जाता है। उन्हें उच्च शिक्षा नहीं दी जाती तथा आगे की और विकास करने की प्रवृत्ति उनके अंदर विकसित नहीं होने दी जाती। उन्हें सामाजिक रीति–रिवाज में उलझा कर रखा जाता है। समाज की यह प्रवृत्ति उनके मानसिक शोषण का एक कारण है, और परिवार उसमें अपनी भागीदारी देकर उनका उत्पीड़न करता है। घर में ही उनके साथ शोषण किया जाता है।

सरकारी और गैर–सरकारी प्रयास

सरकारी प्रयास

सरकार द्वारा घरेलू हिंसा के खिलाफ कई योजनाएँ, और नीतियाँ बनाई गई हैं, जो पीड़िता को शोषण से बचाने का प्रयास करते हैं तथा शोषित महिला की मदद करते हैं। किये गये प्रयासों में आश्रय गृह, कानूनी सहायता,महिला पुलिसकर्मी, महिला थाना और हेल्पलाइन सेवाएँ आदि हैं। इन सभी माध्यमों से महिला अपने उत्पीड़न की सूचना दे सकती है तथा स्वयं को उत्पीड़ित होने से बचा सकती हैं।

© 2024 by The Author(s). ISSN: 1307-1637 International journal of economic perspectives is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Submitted: 27 July 2025, Revised: 09 Aug 2025, Accepted: 18 Aug 2025, Published: Sep 2025

International Journal of Economic Perspectives,*19* **(09) 1-5**
ISSN: 1307-1637 UGC CARE GROUP II
Retrieved from https://ijeponline.com/index.php/journal

गैर–सरकारी संगठनों की भूमिका

NGOs, विभिन्न महिला संगठन और सामाजिक संगठनों द्वारा जागरूकता अभियान, पीड़ितों की सहायता, और कानूनी समर्थन प्रदान किया जाता है। उनके लिए आश्रय स्थल की व्यवस्था की जाती है। पीड़ित महिला और उसके बच्चे के लिए रहने खाने की व्यवस्था की जाती है। महिला सहायता समूह का निर्माण किया जाता है। यह समूह महिलाओं को रोजगार प्रदान करते हैं। इसमें महिला अपनी कला का प्रयोग करते हुए दरी, खेस, कुर्सी, चारपाई, कढ़ाई – बुनाई आदि का निर्माण करती।

मीडिया और शिक्षा

मीडिया ने घरेलू हिंसा के खिलाफ जागरूकता फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके माध्यम से समाज में इस मुद्दे के प्रति संवेदनशीलता बढ़ी है। दुनिया में किसी भी स्थान पर महिलाओं के साथ होने वाले उत्पीड़न को उनके द्वारा दिखाया व बताया जाता है तथा समाज में एक भय पैदा किया जाता है कि यदि महिला के साथ किसी भी प्रकार का अत्याचार किया जाता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी और कानून और पुलिस के द्वारा उसे सजा दी जाएगी। इस माध्यम के द्वारा महिलाओं को सचेत एवं जागरूक भी किया जाता है कि वे अपने अधिकारों को जाने समझे तथा अपने ऊपर होने वाले उत्पीड़न से पुलिस को परिचित कराये जिससे कि वे उन्हें उससे मुक्ति दिला सके।

शिक्षा के माध्यम से घरेलू हिंसा के प्रति जागरूकता फैलाना और पीढ़ी दर पीढ़ी बदलती सोच को प्रोत्साहित करना आवश्यक है। शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो व्यक्ति की चेतन को जागृत करता है। शिक्षा को प्राप्त करके ही महिलाएं समाज और जीवन की वास्तविकताओं को जान पायेंगी । शिक्षा को प्राप्त करने के बाद उन्हें अपने अधिकार और कर्तव्यों का ज्ञान होता है तथा वह कानून की समझ रखने लगती हैं। कानून उनके लिए बहुत सहायक है परंतु शिक्षा और जागरूकता के अभाव में उन्हें कानून की जानकारी नहीं होती, समाज इस बात का लाभ उठाता है और उनका शोषण करता है । शिक्षा ही उन्हें इन समस्याओं से निकलने का एक बहुत बड़ा मार्ग है।

समाज में बदलाव

सामाजिक परिवर्तन

महिलाओं की स्थिति में सुधार, उनके अधिकारों की बढ़ती मान्यता, और आर्थिक सशक्तिकरण घरेलू हिंसा की समस्या को कम करने में सहायक हैं।महिलाओं को पूजा पाठ परंपराओं के बंधनों को त्यागना पड़ेगा तथा उनके साथ हो रहे अत्याचारों का विरोध करना पड़ेगा। जब तक स्वयं आत्मविश्वास के साथ प्रयास नहीं करेंगी समाज उन्हें आगे बढ़ने का अवसर नहीं देगा।शिक्षा ही समाज में परिवर्तन ला सकती है। शिक्षा के द्वारा वे उच्च पदों को यदि प्राप्त करती हैं तो उनके ऊपर होने वाले अत्याचारों की संख्या में कमी आएगी तथा वह अपने आप को शारीरिक और मानसिक रूप से यदि मजबूत बनाएंगे तो उनके ऊपर होने वाले अत्याचारों को वे स्वयं रोक सकती है।

आर्थिक और सामाजिक विकास

सामाजिक और आर्थिक विकास के साथ, घरेलू हिंसा पर काबू पाने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है।महिलाओं का सामाजिक और आर्थिक विकास किया जाना चाहिए। उन्हें

© 2024 by The Author(s). ISSN: 1307-1637 International journal of economic perspectives is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Submitted: 27 July 2025, Revised: 09 Aug 2025, Accepted: 18 Aug 2025, Published: Sep 2025

International Journal of Economic Perspectives,*19* **(09) 1-5**
ISSN: 1307-1637 UGC CARE GROUP II
Retrieved from https://ijeponline.com/index.php/journal

धन की उपलब्धता करवाई जानी चाहिए तथा उनके लिए रोजगार की व्यवस्था की जानी चाहिए। समाज में उन्हें बोझ ना माने जाए बल्कि बेटी को भी बेटे के समान महत्व दिया जाए। उन्हें उसे शिक्षा देकर समाज में एक योग्य पर दिलवाया जा सकता है जिससे वह समाज और परिवार के लिए बोझ नहीं बल्कि उनके लिए एक संदर्भ व्यक्तित्व के रूप में उभरे।महिलाओं को इन प्रथाओं, परंपराओं और रोजगार को त्याग कर आगे बढ़ाने के प्रयास करने चाहिए तथा अपने विकास के बारे में सोचना चाहिए क्योंकि स्वयं के द्वारा किया गया प्रयास ही उन्हें शोषण से मुक्ति दिला सकता है।

निष्कर्ष

भारतीय समाज में घरेलू हिंसा एक गहरी समस्या है, जिसके समाधान के लिए कानूनी, सामाजिक, और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से प्रयास किए जाने चाहिए। सरकारी और गैर–सरकारी संगठनों के प्रयासों को समर्थन देकर और समाज में बदलाव लाकर इस समस्या को प्रभावी रूप से संबोधित किया जा सकता है। महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। महिलाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था की जानी चाहिए। कानून पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए बल्कि स्वयं को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाने की कोशिश की जानी चाहिए। इस इस समस्या का समाधान एक दिन में संभव नहीं है, परंतु समस्या के समाधान के लिए केवल सरकार पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। इसके लिए महिलाओं को स्वयं आगे जाकर, परिवार को और समाज वालों को मिलकर सहयोग करना पड़ेगा तथा कोशिश करनी पड़ेगी। तभी समस्या से निजात मिल सकता है।

सुझाव

* कानूनी ढांचे को सशक्त करना चाहिए और न्यायालय प्रणाली के कार्य करने की गति को सुधारना चाहिये।
* सामाजिक जागरूकता को बढ़ाया जाना चाहिए तथा महिला शिक्षा में सुधार किया जाना चाहिए ।
* मीडिया के माध्यम से व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाये जाने चाहिए।
* NGO के माध्यम से सुरक्षा एवं जागरूकता के प्रयास किए जाने चाहिए।

संदर्भ

1. बुटालिया, उर्वशी : औरत के हक़ में, काली फॉर विमेन, 1997
2. राव, ममता : घरेलू हिंसा और क़ानून, ईस्टर्न बुक कंपनी, 2011
3. भार्गव, वी. पी. : घरेलू हिंसा और महिला अधिकार, सेंट्रल लॉ पब्लिकेशन, 2009
4. गर्ग, मृदुला : स्त्री : उत्पीड़न से मुक्ति तक, राजकमल प्रकाशन, 2005
5. एग्नेस, फ्लाविया : वीमेन एंड लॉ, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 2004
6. बउवार, सिमोन द : द सेकेंड सेक्स (हिंदी अनुवाद), राजकमल प्रकाशन, 1949 (अंग्रेजी संस्करण), हिंदी अनुवाद बाद में प्रकाशित हुआ

© 2024 by The Author(s). ISSN: 1307-1637 International journal of economic perspectives is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Submitted: 27 July 2025, Revised: 09 Aug 2025, Accepted: 18 Aug 2025, Published: Sep 2025